कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मतस्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 20 मई, 2015

सा.का.नि. 97.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि मंत्रालय, (तकनीकी अराजपित्रत समूह ख और समूह ग पद के भर्ती के लिए) नियम 1959, पशुपालन और डेयरी विभाग, ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (माित्स्यकी) भर्ती नियम 2002, पशुपालन और डेयरी विभाग, (मीन उद्योग अनुसंधान अन्वेषण अधिकारी) भर्ती नियम, 2004, कृषि और सहकारिता विभाग, सहायक आयुक्त (माित्स्यकी) भर्ती नियम 1983, कृषि और सहकारिता विभाग, उपायुक्त (माित्स्यकी) अर्वी नियम 1987, कृषि और सहकारिता विभाग, संयुक्त आयुक्त (माित्स्यकी अनिधकार शिक्षा और व्यापार/उपायुक्त (अंतर्देशीय माित्स्यकी) भर्ती नियम 1987, कृषि और सहकारिता विभाग, संयुक्त आयुक्त (माित्स्यकी अनिधकार शिकार रोधी विधि) भर्ती नियम 1984, पशुपालन और डेयरी विभाग, सहायक आयुक्त (मित्स्य बंदरगाह) भर्ती नियम 2002, कृषि मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, सहायक आयुक्त (मित्स्य बंदरगाह) भर्ती नियम 2002, को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, (पशुपालन, डेयरी और माित्स्यकी विभाग) माित्स्यकी अनुसंधान अन्वेषण (साधारण श्रेणी), ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (माित्स्यकी) मीन उद्योग अनुसंधान अन्वेषण अधिकारी) सहायक आयुक्त (माित्स्यकी), उपायुक्त (माित्स्यकी), संयुक्त आयुक्त (माित्स्यकी), सहायक करने के लिए निम्निखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, (माित्स्यकी प्रभाग, समूह ''क'' समूह ''ख'' और समूह ''ग'' पद भर्ती नियम, 2015 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- 3. पद संख्या, उनका वर्गीकरण और ग्रेड वेतन तथा वेतन बैंड या वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वें होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - **5. निरर्हता.**—वह व्यक्ति.—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शिक्त.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संध लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

			अनुसूची			
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
मीन उद्योग अनुसंधान अन्वेषण अधिकारी (साधारण श्रेणी)	1* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200— 20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	लागू नहीं होता	25 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने	
					के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख ज असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी-उपखण्ड अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
(7)			(8)		(9)	
संस्थान से प्राण् बैचलर 2. मात्स्यिकी विकास में तीन	। प्राप्त विश्वविद्यालय गिविज्ञान में विज्ञान में प्रशिक्षण या मत वर्ष का अनुभव	में स्य	लागू नहीं होता	ī	दो वर्ष	
3. मात्स्यिकी अं को अधिमान्यता	नुसंधान के किसी अन्	ูหล				
या प्रतिनियुक्ति र		ं या प्रोन्नित द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा ता		प्रोन्नित/प्रितिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणिया जिनसे प्रोन्नित या प्रितिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा		
	(10)			(11)		
	सीधी भव	f f		लागू नहीं होता		

(1)

एम.एस.सी.

(2)

(3)

THE GAZETTE OF INDIA: MAY 30, 2015/JYAISTHA 9, 1937 670 [PART II—SEC. 3(i)] यदि विभागीय प्रोन्नित सिमिति है, तो उसकी संरचना भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा (12)(13)विभागीय प्रोन्तित समिति (पुष्टि के संबंध लागू नहीं होता में विचार करने के लिए):-1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) -अध्यक्ष अवर सचिव (प्रशासन) 2. -सदस्य अवर सचिव (मात्स्यिकी) -सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अवर सचिव की पंक्ति से ऊपर का अधिकारी, जब तक कि (1) से (3) सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित न हो ।

2. ज्येष्ठ	9* (2015)	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड-2,	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं
तकनीकी	*(कार्यभार के	सेवा, समूह 'ख'	वेतनमान ९३००—		(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर
सहायक	आधार पर	अराजपत्रित,	34800 ক.		जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के
(मात्स्यिकी)	परिवर्तन किया	अननुसचिवीय	+ ग्रेड वेतन		अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष
	जा सकता है)।		4600 रु.		तक शिथिल की जा सकती है।)
					टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने
					के लिए निर्णायक तारीख भारत के अभ्यर्थियों
					से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की
					गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह
					अंतिम तारीख जो असम, मेघालय,
					अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,
					नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर
					राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के
					लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले

(4)

(5)

(6)

के पांगी-उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए

विहित की गई है।)

(9) (7) (8) लागू नहीं होता सीधी भर्ती किए जाने वाले आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या व्यक्तियों के लिए दो वर्ष संस्थान से मात्स्यिकी में विशेषज्ञता के साथ प्राणीविज्ञान में मास्टर डिग्री या एम.एफ.एस.सी. या समुद्र विज्ञान में एम.एस.सी. या औद्योगिक मात्स्यिकी में एम.एस.सी. या मछली विज्ञान में एम.एस.सी. या मात्स्यिकी विज्ञान में

(ii) केंद्रीय या राज्य सरकार विभाग या लोक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठन या प्राइवेट सेक्टर में मात्स्यिक अनुसंधान या मात्स्यिकी (जलीय या समुद्र या मछली विज्ञान) के क्षेत्र में दो वर्ष का कार्य अनुभव।

वांछनीय :

केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुम्बई द्वारा जारी मात्स्यिकी विज्ञान में डिप्लोमा।

टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2: अनुभव संबधी अर्हता (अर्हताएं), कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(10)

(11)

85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 15 प्रतिशत संयुक्त पद्धित [(प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नित द्वारा)]

प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या कृषि विश्वविद्यालयों या अर्धसरकारी या कानूनी या स्वायत संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी-

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रुपये या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में नियमित पांच वर्ष सेवा की हो; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1,5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में नियमित दस वर्ष सेवा की हो; और

(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।

दस वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले 2800 रु. ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. के वेतन के मान में विभागीय मत्स्य अनुसंधान अन्वेषण अधिकारी (साधारण ग्रेड) पर भी बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा। यदि पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थी का चयन किया जाता है, उसे प्रोन्नित द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्ति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अविध (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नही होगी प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहां यह फायदा केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(12) (13)

विभागीय प्रोन्तित समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए):-

।. संयुक्त सचिव (प्रशासन) – अध्यक्ष

2. संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी) – सदस्य

3. निदेशक या उप सिचव (प्रशासन) —सदस्य

मत्स्य विकास आयुक्त — सदस्य

संयुक्त पद्धति के आधार पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मीन उद्योग अनुसंधान अन्वेषण अधिकारी	5* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	ਕੇਰਜ ਕੈਂड-3, 15600— 39100 ਨ. + ਸ਼ੇਤ ਕੇਰਜ 5400 ਨ.	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)
					टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी-उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7) (8) (9)

आवश्यक अर्हताएं :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मात्स्यिको में विशेषज्ञता के साथ प्राणीविज्ञान में मास्टर डिग्री या एम.एफ.एस.सी या समुद्र विज्ञान में एम.एस.सी. या औद्योगिक मात्स्यिको में एम.एस.सी. या मछली विज्ञान में एम.एस.सी. अथवा मात्स्यिकी विज्ञान में एम.एस.सी. ।

(ii) केंद्रीय या राज्य सरकार विभाग या लोक सेवा उपक्रम या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठन से मात्स्यिकी विकास जिसके अन्तर्गत नीति और योजना बनाना भी है, योजना स्कीमों का नियमन और तकनीकी मूल्यांकन करना, उनकी मानीटरी करना और कार्यान्वयन तथा संसदीय मामले को देखने के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2 : अनुभव संबधी अर्हता (अर्हताएं), संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा तब शिथिल की जा सकती है। जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(10) (11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा)

प्रोन्नति :

ऐसा ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (मात्स्यिकी) जिसने वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।

टिप्पण 1: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं)

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या लोक स्वायत निकायों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या अर्ध सरकारी या कानुनी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:—

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु. में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 2 वर्ष नियमित सेवा की हो; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड-2,9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की हो; और,

(ख) स्तंभ (7) क अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।

टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्निति द्वारा नियुक्त के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

[प्रतिनियुक्ति की अविध (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है की पात्रता के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहां यह फायदा केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12) (13)

विभागीय प्रोन्नित सिमिति (प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए):-

1. अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक —अध्यक्ष सेवा आयोग

2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) -सदस्य

3. संयुक्त सचिव (मात्स्यिको) –सदस्य

4. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) —सदस्य

विभागीय प्रोन्नित समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए):-

1. संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी) —अध्यक्ष

2. संयुक्त आयुक्त (मात्स्यिकी) —सदस्य

3. उप आयुक्त (मात्स्यिकी) –सदस्य

. अवर सचिव (प्रशासन) –सदस्य

प्रत्येक अवसर पर पद की नियुक्ति के लिए समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक आयुक्त (मात्स्यिकी)	5* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	ਕੇਜਜ ਕੈਂड-3, 15600— 39100 ਨ. + ਸ਼ੇਤ ਕੇਜਜ 6600 ਨ.	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)
					टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी-उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7) (8)

आवश्यक अर्हताएं :

- (i) मात्स्यिकी में विशेषज्ञता के साथ प्राणी-विज्ञान में मास्टर डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एम.एफ.एस.सी या समुद्र विज्ञान में एम.एस.सी. या औद्योगिक मात्स्यिकी में एम.एस.सी. या मछली विज्ञान में एम.एस.सी. अथवा मात्स्यिकी विज्ञान में एम.एस.सी. ।
- (ii) केंद्रीय या राज्य सरकार विभाग या लोक क्षेत्र उपक्रम या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठन से मात्स्यकी के क्षेत्र में अनुसंधान या विकास जिसके अन्तर्गत प्रबंधन नीति और योजना बनाना भी है, मात्स्यिकी के लिए विकास स्कीमों का नियमन, तकनीकी मूल्यांकन करना, और उनकी मानीटरी करना संसद या विधायी या अन्तरर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यापार या मत्स्य स्वास्थ्य संबंधी मामले को देखने के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव।

टिप्पण: अनुभव संबधी अर्हता (अर्हताएं), संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा तब शिथिल की जा सकती है। जब नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

वांछनीय :

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राणी में डाक्टरेट की उपाधि।

(10) (11)

66.67 प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा, 33.33 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) जिसके ने हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति :

ऐसा मीन उद्योग अनुसंधान अन्वेषण अधिकारी, जिसने वेतन बैंड- 3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो।

टिप्पण 1: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबिक उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं)

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या लोक क्षेत्र उपक्रमों या स्वायत निकायों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या अर्ध सरकारी या कानूनी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:—

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो: या

स्तंभ (7) क अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।

टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्निति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

[प्रतिनियुक्ति की अविध (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है की पात्रता के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहां यह फायदा केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)

विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए):-

 सचिव (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

–अध्यक्ष

 संयुक्त सचिव (प्रशासन) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग –सदस्य

3. संयुक्त सचिव (डेयरी विकास)

–सदस्य

4. उप सचिव (प्रशासन) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

–सदस्य

सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। (12)

विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए):-

संयुक्त सचिव (प्रशासन) —अध्यक्ष
 संयुक्त सचिव (डेयरी विकास) —सदस्य
 निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) —सदस्य
 निदेशक या उप सचिव (डेयरी विकास) —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उपायुक्त (मात्स्यिकी)	2* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, वेतनमान 15600— 39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु.	चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)
					टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी-उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

आवश्यक अर्हताएं :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मात्स्यिकी में विशेषज्ञता के साथ प्राणीविज्ञान में मास्टर डिग्री या एम.एफ.एस.सी समुद्र विज्ञान में एम.एस.सी. या औद्योगिक मात्स्यिकी में एम.एस.सी. या मछली विज्ञान में एम.एस.सी. या मात्स्यिकी विज्ञान में एम.एस.सी.।

(7)

(ii) केंद्रीय या राज्य सरकार विभाग या लोक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों से मात्स्यिकी विकास जिसके अन्तर्गत नीति और योजना बनाना भी है, योजना स्कीमों का नियमन, और तकनीकी मूल्यांकन करना, उनको मानीटर (8)

शैक्षिक अर्हताएं : स्तम्भ (ii) में उपदर्शित सीमा तक

आयु: नहीं

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

(9)

करना और कार्यान्यवयन तथा संसदीय मामले को देखने के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव । वांछनीय :

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राणी विज्ञान में डाक्टरेट की उपाधि।

टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2: अनुभव संबधी अर्हता (अर्हताएं), संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है। जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(10)

के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा.

प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) दोनों (11)

प्रोन्ति :

सहायक आयुक्त (माल्स्यिकी) जिनका वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. में 5 वर्ष की नियमित सेवा है; और स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हैं।

टिप्पण: स्तंभ (7) के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताओं की शर्त इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को तथा विद्यमान पोषक प्रवर्ग में विद्यमान पदधारियों को लागू नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/लोक सेवा उपक्रमों/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/कृषि विश्वविद्यालयों/अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :-

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्त के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अविध जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहां यह फायदा केवल उन पदों विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)

विभागीय प्रोन्ति समिति (प्रोन्ति के संबंध में विचार करने के लिए):-

 अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक – अध्यक्ष सेवा आयोग

2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) —सदस्य

3. संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी) -सदस्य

4. मत्स्य विकास आयुक्त -सदस्य

सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। (12)

विभागीय प्रोन्नित समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए):-

1.	सचिव (पशुपालन, डेयरी और	–अध्यक्ष
	मात्स्यिकी)	

- 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) -सदस्य
- 3. संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी) -सदस्य
- 4. मत्स्य विकास आयुक्त -सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
संयुक्त आयुक्त	1* (2015)	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड-3,	चयन	लागू नहीं होता	
(मात्स्यिको)	*(कार्यभार के	सेवा, समूह 'क'	37400—			
	आधार पर	राजपत्रित,	67000 ক.			
	परिवर्तन किया	अननुसचिवीय	+ ग्रेड वेतन			
	जा सकता है)।		8700 চ.			

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(10)		(11)

प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्ति :

निम्नलिखित में से उनकी प्रोन्नित द्वारा

- 1. उप आयुक्त (मार्त्स्यकी);
- 2. उप आयुक्त (मत्स्य बंदरगाह);
- 3. निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान;
- 4. निदेशक, केन्द्रीय तटीय मात्स्यिकी इंजीनियरी संस्थान;
- निदेशक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रौद्योगिक और प्रशिक्षण संस्थान:

जो वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु. वेतनमान में 5 वर्ष नियमित सेवा रखते है:

प्रोन्नित के लिए पात्रता सूची क्रमश: अधिकारियों द्वारा अपनी श्रेणी में उनकी विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के प्रति निदेश से तैयार की जाएगी।

टिप्पण 1: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों

सिंहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ लोक राज्य क्षेत्र/लोक क्षेत्र के उपक्रमों/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/कृषि विश्वविद्यालयों/अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:—

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में नियमित पांच वर्ष सेवा की हो: और
- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हैं :-

आवश्यक :

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मात्स्यिकी में विशेषज्ञता के साथ प्राणीविज्ञान में मास्टर डिग्री या सामुद्रिक जीव विज्ञान में एम.एफ.एस.सी या एम.एस.सी. या औद्योगिक मात्स्यिकी विज्ञान में एम.एस.सी.।
- (ii) मात्स्यकी (देशीय या समुद्री या जलीय) के क्षेत्र में विकास या अनुसंधान जिसके अंतर्गत प्रबंध, नीति और योजना बनाना, मात्स्यिकी के लिए विकास स्कीमों को विरचित करना और मानीटर करना, संसदीय या विधायी या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यवसाय या मीन स्वास्थ्य से संबंधित मामले का केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या लोक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत संगठन में बारह वर्ष का अनुभव हो।

वांछनीय

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राणीविज्ञान में डॉक्ट्रेट डिग्री ।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्निति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

[प्रितिनयुक्ति की अविध (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की पात्रता के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलता-पूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहां यह फायदा केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)

विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए):-

 अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक —अध्यक्ष सेवा आयोग

2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) —सदस्य

3. संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी) –सदस्य

सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) संघ सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक	1* (2015)	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड-3,	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं
निदेशक	*(कार्यभार के	सेवा, समूह 'क'	वेतनमान 15600—		(केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर
(मत्स्य	आधार पर	राजपत्रित,	39100 চ. +		जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के
बंदरगाह)	परिवर्तन किया	अननुसचिवीय	ग्रेड वेतन		अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष
	जा सकता है)।		5400 ম.		तक शिथिल की जा सकती है)
					टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी-उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7) (8) (9)

आवश्यक :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरी में डिग्री

(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या लोक क्षेत्र के उपक्रम या पत्तन न्यास या राजिस्ट्रीकृत निजी संनिर्माण कंपनी या निकायों में पत्तन या बंदरगाह इंजीनियरी में तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

(10)(11)सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अविध के लिए हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु. या समतुल्य के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष की सेवा की हैं; या (iii) स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शौक्षिक अर्हताएं रखते है। [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

(12) (13)

विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए):-

सीधी भर्ती करते समय संघ सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

संयुक्त सचिव (प्रशासन) —अध्यक्ष
 संयुक्त सचिव (माित्स्यकी) —सदस्य
 निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) —सदस्य
 मत्स्य विकास आयुक्त —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
 सहायक	1* (2015)	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड-3,	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
आयुक्त	*(कार्यभार के	सेवा, समूह 'क'	वेतनमान 15600—			
(मत्स्य	आधार पर	राजपत्रित,	39100 চ. +			
बंदरगाह)	परिवर्तन किया	अननुसचिवीय	ग्रेड वेतन			
	जा सकता है)।		6600 रु.			

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)

संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है + प्रोन्नति)] (11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/लोक राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारी:

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; और
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में नियमित पांच वर्ष सेवा की हो; और
- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हैं:-

आवश्यक :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री:
- (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या पत्तन न्यास या राजिस्ट्रीकृत निजी संनिर्माण कंपनियों या निकायों में पत्तन या बंदरगाह इंजीनियरी में दस वर्ष का अनुभव।

वांछनीय

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरी या बंदरगाह इंजीनियरी या समुद्र इंजीनियरी में परास्नातक डिग्री।

टिप्पण 1: ऐसे विभागीय सहायक निदेशक (मत्स्य बंदरगाह) जो वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. के वेतनमान की श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं, पर भी बाह्य अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा। यदि पद के लिए विभागीय अभ्यर्थीं चयनित होता है तो पद को प्रोन्नित से भरा गया समझा जाएगा।

[प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अविध जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है, और वहां यह फायदा केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)	(13)
लागू नहीं होता	संयुक्त पद्धति के आधार पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
उपायुक्त	1* (2015)	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड−3,	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
(मत्स्य	*(कार्यभार के	सेवा, समूह 'क'	वेतनमान 15600—			
बंदरगाह)	आधार पर	राजपत्रित,	39100 ফ. +			
	परिवर्तन किया	अननुसचिवीय	ग्रेड वेतन			
	जा सकता है)।		7600 হ.			

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10) (11)

संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है + प्रोन्नति)] प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ प्रशासन या राज्य प्रशासन या लोक क्षेत्र के उपक्रमों/कृषि विश्वविद्यालयों/अर्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/परिषदों के अधीन ऐसे अधिकारी:—

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; और
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में नियमित पांच वर्ष सेवा की हो; और
- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हैं:-

आवश्यक :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री:
- (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या पत्तन न्यास या रजिस्ट्रीकृत संनिर्माण कंपनी या निकायों में बंदरगाह या सिविल इंजीनियरी में दस वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरी, बंदरगाह इंजीनियरी, समुद्र इंजीनियरी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री।

टिप्पण 1: ऐसे सहायक आयुक्त (मत्स्य बंदरगाह) जिनकी वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. में की श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा है। उन बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा। पद पर नियुक्ति के लिए उनके चयनित होने की दशा में पद को प्रोन्नित से भरा गया समझा जाएगा।

टिप्पण 1: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है, और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)	(13)
- लागू नहीं होता	संयुक्त पद्धति के आधार पर नियुक्ति करते समय संघ लोक
	सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/3/2008-प्रशा.1]

आर. एस. जयाल, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 20th May, 2015

- G.S.R. 97.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture (Recruitment to Technical Non- gazetted Group B and C Posts) Rules, 1959, Department of Animal Husbandry and Dairying, Senior Technical Assistant (Fisheries), Recruitment Rules, 2002, Department of Animal Husbandry and Dairying, (Fisheries Research Investigation Officer) Recruitment Rules, 2004, Department of Agriculture and Cooperation, Assistant Commissioner (Fisheries) Recruitment Rules, 1983, Department of Agriculture and Cooperation Deputy Commissioner (Fisheries Planning)/Deputy Commissioner (Education and Trade)/Deputy Commissioner (Inland Fisheries) Recruitment Rules, 1987, Department of Agriculture and Cooperation, Joint Commissioner (Fisheries-Anti Poaching Law) Recruitment Rules, 1984, Department of Animal Husbandry and Dairying, Assistant Director (Fishing Harbour) Recruitment Rules, 2002, Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry and Dairying, Assistant Commissioner (Fishing Harbour) Group-A. Post Recruitment Rules, 2002, Department of Animal Husbandry and Dairying, Deputy Commissioner (Fishing Harbour) Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the president hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Fisheries Research Investigator (Ordinary Grade), Senior Technical Assistant (Fisheries), Fisheries Research Investigation Officer, Assistant Commissioner (Fisheries), Deputy Commissioner (Fisheries), Joint Commissioner (Fisheries), Assistant Director (Fishing Harbour), Assistant Commissioner (Fishing Harbour), Deputy Commissioner (Fishing Harbour) in the Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries), namely:-
- **1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Animal Husbandry Dairying and Fisheries, (Fisheries Division, Group 'A', Group 'B' and Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Application.** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.
- **3. Number of posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **4. Method of recruitment, age limit, qualification.** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating to be said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
 - 5. Disqualification.— No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 - shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **6. Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of these provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **7. Savings.** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

			SCHEDULE		
Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Fisheries Research Investivator (Ordinary Grade)	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200– 20200 plus Grade Pay of Rs. 2800	NA	Not exceeding 25 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)
					Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
Educational a	-	cations required	qualificat direct rec	age and educational ions prescribed for ruits will apply in f promotees	
	(7)		(8)		(9)
Essential Qualifications :		NA		Two year	
(i) Bachelor of from a recognistitute; (ii) Training	of Science in Zognised Universi	ty or nree years'			•
_	f fisheries devel experience of fisherable				

Method of recruitment: Whether by direct In case of recruitment by promotion or deputation recruitment or by promotion or by deputation or the grades from which promotion or deputation to be absorption and percentage of the posts to be made filled by various methods (10)(11)Direct recruitment Not applicable If a Departmental Promotion Committee exists, Circumstances in which the Union Public what is its composition Service Commission is to be consulted in making recruitment. (12)(13)**Departmental Promotion Committee** Not applicable. (for considering confirmation):-1. Director or Deputy Secretary (Admn.) -Chairman 2. Under Secretary (Admn.) -Member 3. Under Secretary (Fisheries) -Member 4. One Scheduled Caste or Scheduled Tribe Officer not below the rank of Under Secretary, unless one of the members at (1) to (3) belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe. (1)(2)(3)(4) (5)(6)2. Senior 9* (2015) General Central Pay Band-2, Not exceeding 30 years NA Rs. 9300-**Technical** *Subject to Service, Group 'B', (Relaxable for Government Assistant Non-Gazetted, 34800 plus servants upto five years in variation Non-Ministerial. Grade Pay accordance with the instructions (Fisheries) dependent on workload. of Rs. 4600 or orders issued by the Central Government.) Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt applications candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh. Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7) (8)

Essential:

NA Two years for direct recruits

- (i) Masters degree in Zoology with specialisation in Fisheries; or M.F.Sc. or M.Sc. in Marine Biology or M.Sc. in Industrial Fisheries or M.Sc. in Aquaculture or M.Sc. in Fisheries Science from a recognised University or Institute.
- (ii) Two years experience in Fisheries Research or work experience in the field of Fisheries (Inland or Marine or Aquaculture) from a Central or State Government Department or Public Sector Undertaking or Recognised Research Institute or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisation or Private Sector.

Note1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable:

Diploma in Fisheries Science issued by the Central Institute of Fisheries Education, Mumbai.

(10) (11)

85% by direct recruitment 15% by composite mothod [Deputation (Including Short-Term Contract) plus promotion]

Deputation (Including Short-Term Contract): Officers of the Central or State or UT Administration or Autonomous bodies or Recognised Research Institute or Universities or Statutory Bodies:-

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) Five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto in the scale of pay of PB-2 Rs. 9300-34,800 with grade pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or department, or

- (iii) Ten years' regular service in the grade rendered after appointment in the scale of pay of PB-I Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for Direct Recruits under column (7).

The Departmental Fisheries Research Investigator (Ordinary Grade) in the scale of pay of PB-1 Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2800 with ten years regular service will also be considered along with outsiders. If the Departmental Candidate is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on Deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(The period of deputation (Including Short-Term Contract) including period of deputation (Including Short-Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structured based on the 6th CPC recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade payor pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that grade payor pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12) (13)

Departmental Promotion Committee (for confirmation or promotion):-

1. Joint Secretary (Admn.) —Chairman

2. Joint Secretary (Fisheries) —Member

3. Director or Deputy Secretary (Admn.) — Member

4. Fishery Development Commissioner —Member

Consultation with UPSC is necessary while making appointment on the basis of composite method.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Fisheries Research Investigation Officer	5* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	Pay Band-3, Rs. 15600– 39100 plus Grade Pay of Rs. 5400	Selection	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)
					Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
(7)		(8)		(9)

Essential Qualifications:

No

One year for direct recruits and promotees

- (i) Masters degree in Zoology with specialisation in Fisheries; or M.F.Sc or M.Sc.in Marine Biology or M.Sc. in Industrial Fisheries or M.Sc. in Aquaculture or M.Sc. in Fisheries Science from a Recognised University or Institute.
- (ii) Three years experience in the field of Fisheries development including policy and planning, formulation and technical evaluation of plan schemes, their monitoring and implementation and handling Parliamentary matter from a Central or State Government Department or Public Sector Undertaking or Recognised Research Institute or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisation.
- **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.
- **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be

recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(10) (11)

By Promotion failing which by deputation (Including Short-Term Contract) failing both direct recruitment

Promotion:

Senior Technical Assistants (Fisheries) with three years' by regular service in the grade in PB-2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4600.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite or qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding payor pay scale extended based on the recommendations of Pay Commission.

Deputation (Including Short-Term Contract):

Officers of the Central or State or UT Administration or Autonomous bodies or Recognised Research Institute or Universities or Statutory Bodies:-

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment there to on regular basis in the scale of PB-2, Rs.9300-34800 with Grade Pay of Rs.4800 or equivalent in the parent cadre or department; or,
- (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment there to on regular basis in the scale of PB-2, Rs.9300-34800 with Grade Pay of Rs.4600 or equivalent in the parent cadre or department; and,

(b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for Direct Recruits under Column (7).

Note l: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation (Including Short-Term Contract) including period of deputation (Including Short-Term Contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by Deputation (Including Short-Term Contract shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommended has been extended; shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Pay Commission except where there has been the merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade payor pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12) (13)

Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :-

Consultation with UPSC is necessary on each occasion.

1. Chairman or Member, UPSC —Chairman
2. Joint Secretary (Admn.) —Member
3. Joint Secretary (Fisheries) —Member
4. Director or Deputy Secretary (Admn.) —Member

Departmental Confirmation Committee
(for considering Confirmation):-

1. Joint Secretary (Fisheries) — Chairman
2. Joint Commissioner (Fisheries) — Member
3. Deputy Commissioner (Fisheries) — Member
4. Under Secretary (Admn.) — Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Assistant Commissioner (Fisheries)	5* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	Pay Band-3, Rs. 15600– 39100 plus Grade Pay of Rs. 6600	Selection	Not exceeding 40 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)
					Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
(7	<i>'</i>)		(8)		(9)
Eccential Qualif			Ma		One ween for direct reconsite

Essential Qualifications:

- (i) Masters degree in Zoology with specialisation in Fisheries; or M.F.Sc. or M.Sc. in Marine Biology or M.Sc. in Industrial Fisheries or M.Sc. in Aquaculture or M.Sc. in Fisheries Science from a Recognised University or Institute.
- (ii) Five years experience of research or development in the field of Fisheries (Inland or Marine or Aquaculture) including management, policy and planning, formulation, technical evaluation and monitoring of development schemes for fisheries, Parliament or legislative or international cooperation and trade or fishery health related matter from a Central or State Government Department or Public Sector Undertaking or recognised Research Institute or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisation.

Note.1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons recorded in Writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

No

One year for direct recruits

Note.2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable:

Doctorate degree in Zoology from a recognised University or Institute.

(10) (11)

66.67% by Promotion failing which by deputation (Including Short-Term Contract) failing both by direct by direct recruitment,

33.33% by deputation (Including Short-Term Contract) failing both by direct recruitment

Promotion:

Fisheries Research Investigation Officer with five years' regular service in the scale of pay of PB-3, Rs.15600-39100 with Grade Pay of Rs. 5400.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite/ eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of Pay Commission.

Deputation (Including Short-Term Contract)

- l. Officers. of the Central or State or UT Administration or Autonomous bodies or Recognised Research Institute or Universities or Statutory Bodies:-
- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment there to on regular basis in the scale of Rs.15600- 39100 with Grade Pay of Rs.5400 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed under Column (7).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall also not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation (Including Short-Term Contract) including period of deputation (Including Short-Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by Deputation (Including Short-Term Contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on regular basis by an officer prior to 1-1-2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been the merger of more than one prerevised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade payor pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)

Departmental Promotion Committee (for considering promotion):-

1. Secretary (Animal Husbandry, Dairying and (Fisheries) -Chairman

2. Joint Secretary (Admn.) -Member

3. Joint Secretary (Fisheries) -Member

4. Director or Deputy Secretary (Admn.) -Member

5. Fishery Development Commissioner -Member

Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) :-

1. Joint Secretary (Admn.) -Chairman

2. Joint Commissioner (Fisheries) -Member

3. Director or Deputy Secretary (Admn.) —Member

4. Fishery Development Commissioner -Member (13)

Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (Including Short-Term Contract)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Deputy Commissioner (Fisheries)	2* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	Pay Band-3, Rs. 15600– 39100 plus Grade Pay of Rs. 7600	Selection	Not exceeding 50 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)
					Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7) (8)	(9)	

Essential:

- (i) Masters degree in Zoology with specialisation in Fisheries; or M.F.Sc. or M.Sc. in Marine Biology or M.Sc. in Industrial Fisheries or M.Sc. in Aquaculture or M.Sc.in Fisheries Science from a Recognised University or Institute.
- (ii) Ten years experience of research or development in the field of Fisheries (Inland or Marine or Aquaculture) including management, policy and planning, formulation and monitoring of development schemes for fisheries, Parliament or legislative or international cooperation and trade or fishery health related matter from a Central or State Government Department or Public Sector Undertaking or Recognised Research Institute or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisation.

Desirable:

Doctorate degree in Zoology from a recognised University or Institute.

Age: No Educational Qualifications: To the extent indicated in column (11) One years for direct recruits

Note1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in Writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(10) (11)

By Promotion failing which by deputation (Including Short-Term Contract) failing both by direct recruitment

`

Promotion:

Assistant Commissioner (Fisheries) with five years' regular service in the scale of pay of PB-3 Rs.15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600/-; and possessing the educational qualifications as prescribed for the direct recruits under column (7).

Note: The condition of educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7) shall not be applicable in case of existing incumbents in the feeder grade as on the date of notification of these Rules.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite or qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of Pay Commission.

Deputation (Including short-term contract):

Officers of the Central or State or UT Administration or Autonomous bodies or Recognised Research Institute or Universities or Statutory Bodies:—

- (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of PB-3, Rs.15600-39100 with Grade Pay of Rs.6600 or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under coloumn (7).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short- term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date for receipt of applications).

Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been the merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)		(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :-		Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on
1. Chairman or Member, UPSC	—Chairman	deputation(Including Short-Term Contract)
2. Joint Secretary (Admn.)	—Member	
3. Joint Secretary (Fisheries)	—Member	
4. Fishery Development Commissioner	—Member	

(12)

Departmental Promotion Committee (for Confirmation):-

1. Secretary (Animal Husbandry, Dairying

and Fisheries —Chairman

2. Joint Secretary (Admn.) —Member

3. Joint Secretary (Fisheries) —Member

4. Fishery Development Commissioner — Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
. Joint	1* (2015)	General Central	Pay Band-4,	Selection	Not applicable
Commissioner	*Subject to	Service, Group 'A',	, Rs. 37400–		
(Fisheries)	variation	Gazetted, Non-	67000 plus		
	dependent	Ministerial.	Grade Pay		
	on workload.		of Rs. 8700		
(7)			(8)		(9)
Not applic	able		N.A.		N.A.

By Promotion failing which by deputation (Including Short-Term Contract)

(10)

Promotion:

From among the following:-

1. Deputy Commissioner (Fisheries);

(11)

- 2. Deputy Commissioner (Fishing Harbour);
- 3. Director, Central Institute of Fishing Nautical and Engineering Training;
- 4. Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fisheries;
- 5. Director, National Institute of Fisheries Post Harvest Technology and Training,

With five years regular service in the scale of pay of PB -3, Rs.15600-39100 with Grade Pay of Rs.7600/-

The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in their respective grade or posts:

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully

completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of Pay Commission.

Deputation (Including Short Term Contract):

Officers of the Central or State or UT Administration or Autonomous bodies or Recognised Research Institute or Universities or Statutory Bodies:-

- (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment there to on regular basis in the scale of pay of PB-3, Rs.15600-39100 with Grade Pay of Rs.7600 or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience:-

Essential:

- (i) Masters degree in Zoology with specialisation in Fisheries; or M.F.Sc. or M.Sc. in Marine Biology or M.Sc. in Industrial Fisheries or M.Sc. in Aquaculture or M.Sc. in Fisheries Science from a recognised University or Institute.
- (ii) Twelve years experience of research or development in the field of Fisheries (Inland or Marine or Aquaculture) including management, policy and planning, formulation and monitoring of development Schemes for fisheries, Parliament or legislative or international co-operation and trade or fishery health related matter from a Central or State Government Department or Public Sector Undertaking or Recognised Research Institute or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisation.

Desirable:

Doctorate degree in Zoology from a recognized University or Institute.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limits for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade payor pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been the merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)		(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion):-		Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (Including Short-
(1) Chairman or Member, UPSC	—Chairman	Term Contract)
(2) Joint Secretary (Admn.)	—Member	
(3) Joint Secretary (Fisheries)	—Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Assistant Director (Fishing Harbour)	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	Pay Band-3, Rs. 15600– 39100 plus Grade Pay of Rs. 5400	NA	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)

(6)

Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(9)(7) (8) NA

(i) Degree in Civil Engineering from a

Essential:

- recognised University or Institute.
- (ii) Three years experience in Port or Harbour Engineering in Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Port Trust or Private Registered construction companies or Bodies.
- Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

One years for direct recruits

NA

(10)(11)

Direct recruitment:

Note: Vacancies caused by incumbents being away ondeputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration on one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government:

(10)

- (A) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) With two years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in pay Band-2, Rs.9300-34800/- with Grade Pay of Rs.4800/- or equivalent in parent cadre or department; and
- (B) Possessing the educational qualifications proposed for direct recruits under column (7).

(Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limits for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

(12)		(13)
Departmental Promotion Committee (for confirmation) :-		Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment
1. Joint Secretary (Admn.)	—Chairman	
2. Joint Secretary (Fisheries)	—Member	
3. Director or Deputy Secretary (Admn.)	—Member	
4. Fishery Development Commissioner	—Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
8. Assistant	1*(2015)	General Central	Pay Band-3,	NA	Not applicable	
Commissioner	*Subject to	Service, Group 'A',	Rs. 15600–			
(Fishing	variation	Gazetted, Non-	39100 plus			
Harbour)	dependent	Ministerial.	Grade Pay			
	on workload.		of Rs. 6600			

(7)	(8)	(9)
Not applicable	N.A.	N.A.

(10) (11)

By composite method [Deputation (including short-term contract) Plus Promotion]

Deputation (including short-term contract):

Officers of the Central or State Governments or Union Territory Administration or Port Trust or Autonomous Bodies:-

- (i) holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of PB-3, Rs.15600-39100 with Grade Pay of Rs.5400 or equivalent; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience:

Essential:

- (i) Degree in Civil engineering from a recognised University;
- (ii) Five years experience in Port or Harbour Engineering in Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Port Trust or Private Registered construction companies or Bodies.

Desirable:

Post graduate degree in Civil Engineering or Harbour Engineering or Ocean Engineering from a recognised University of Institute.

Note: The Departmental Assistant Director (Fishing Harbour) in the scale of pay of PB-3, Rs.15600-39100 with Grade Pay of Rs.5400/- with five years' regular service in the grade will also be considered along with outsiders. If the Departmental candidate is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term conract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date for receipt of applications).

Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended.

(11)shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade payor pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been the merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade payor pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. (12)(13)N.A. Consultation with the Union Public Service Commission necessary while filling the post by composite method (2) (3) (4)(5) (6) (1) 9. Deputy 1* (2015) General Central Pay Band-3, Not applicable Not applicable Commissioner *Subject to Service, Group 'A', Rs. 15600-(Fishing variation Gazetted, Non-39100 plus Grade Pay Harbour) dependent Ministerial. of Rs. 7600 on workload. (7)(8)(9)Not applicable N.A. N.A. (10)(11)By composite method [Deputation (including **Deputation (including short-term contract):** short-term contract) Plus Promotion] Officers of the Central or State Governments or Union Territory Administration or Port Trust or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Agricultural Universities or Semi- Government or Autonomous or Statutory Organisations or Recognised Research Institutes or Councils:-(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of PB-3, Rs.1S600-39100 with Grade Pay of Rs.6600 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: **Essential:** (i) Degree In Civil engineering from a recognised

University or Institute

(ii) Ten years experience in Port or Harbour Engineering in Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Port Trust or Private Registered construction companies or Bodies.

Desirable:

Post graduate degree in Civil Engineering or Harbour Engineering or Ocean Engineering from a recognised University or Institute.

Note: The Departmental Assistant Commissioner (Fishing Harbour) in the scale of pay of PB-3, Rs.15600-39100 with Grade Pay of Rs.6600 with five years' regular service in the grade will also be considered along with outsiders. In case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputation shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date for receipt of applications).

Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on regular basis by an officer prior to 1.1.2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/ pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been the merger of more than one pre- revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay/ pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
N.A.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while filling the post by composite method

or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years. (50 years of age for the Scheduled Caste/Scheduled Tribes candidates).

Note: If more of such employees than the number of vacancies available under item (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at considered before those who qualify at a later examination; (iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employee who have rendered three years regular service in the posts with the Grade Pay of Rs. 1800.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

(13) (14)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion cases) consists of —

Not applicable

(1) Deputy Director General of Meteorology
(Administration and Stores)

(Administration and Stores) —Chairman

(2) One Scincitist 'D'

-Member

(3) One Group 'B' Gazetted Officer from another department

-Member

[F. No. A-12026/2/09-E(3)(RR)/SFS]

RAJIV SHARMA, Dy. Director General of Meteorology, (Admn. and Stores)

कृषि मंत्रालय

(पश् पालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 229.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में उप निदेशक (जलीय करंतीन), सहायक निदेशक (जलीय करंतीन) और मत्स्य अनुसंधान अन्वेषक (करंतीन) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, जलीय करंतीन, (समृह 'क' और समृह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2011 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिक्त.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछडे वर्गों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. उप निदेशक	1* (2011)	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड-3,	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(जलीय	*कार्यभार के	सेवा समूह 'क',	15600-		
करंतीन)	आधार पर	राजपत्रित,	39100 रु. +		
	परिवर्तन किया	अननुसचिवीय	ग्रेड वेतन		
	जा सकता है।		6600 रु.		

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या				
प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों				
द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता				

(10)

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) +प्रोन्नित द्वारा] संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नित द्वारा]

(11)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी संगठनों अथवा कानूनी या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी :

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :
- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणी विज्ञान या मत्स्य विज्ञान में मास्टर डिग्री या केन्द्रीय मत्स्यपालन शिक्षा संस्थान, मुंबई से मत्स्य विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा;
- (ii) मत्स्यपालन अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में जैसे जलीय जीवजन्तु स्वास्थ्य समस्या से संबंधित किसी सरकारी विभाग या किसी मान्यताप्राप्त अनुसंधान और विकास संगठन में जलीय जीवजन्तु रोगों का मानीटर, निगरानी करने, रिपोर्ट देने में पांच वर्ष का अनुभव।

टिप्पण: वेतन बैंड-3, 15600-39100 + ग्रेड वेतन 5400 रु. में ऐसे विभागीय सहायक निदेशक (जलीय करंतीन) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नित द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

[प्रतिनियुक्ति की अविध (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना				भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा			
	(12)				(13)		
लागू नहीं होता प्रत्येक अ आवश्यक			अवसर पर आयोग से परामर्श क क है।	रना			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
2. सहायक निदेशक (जलीय	1* (2011) *कार्यभार के आधार पर	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित,	ਕੇतन ਕੈਂड-3, 15600- 39100 ਨ. +	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
करंतीन)	परिवर्तन किया जा सकता है।	अननुसचिवीय	ग्रेड वेतन 5400 ਨ.				

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नित व्यक्तियों के लिए दो वर्ष
(10)	(11)	

संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) +प्रोन्नित द्वारा] संयुक्त पद्धित [प्रितिनयुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नित] प्रितिनयुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी संगठनों अथवा कानूनी या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी:—

- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2,9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; या
- (iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :-
- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणी विज्ञान या मत्स्य विज्ञान में मास्टर डिग्री या केन्द्रीय मत्स्यपालन शिक्षा संस्थान, मुंबई से मत्स्य विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा;
- (ii) मत्स्यपालन अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में जैसे जलीय जीवजन्तु स्वास्थ्य समस्या से संबंधित किसी सरकारी विभाग या किसी मान्यताप्राप्त अनुसंधान और विकास संगठन में जलीय जीवजन्तु रोगों का मानीटर, निगरानी करने, रिपोर्ट देने में तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण: वेतन बैंड-2,9300-34800 + ग्रेड वेतन 4200 रु. में ऐसे विभागीय मत्स्य अनुसंधान अन्वेषक (करंतीन) जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नित द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रितिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

[प्रतिनियुक्ति की अविध (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की

अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी]।

टिप्पण: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

	(12)				(13)
7	नागू नहीं होता			पद व	को भरे जाने के लिए प्रत्येक अवसर पर
				आयो	ग से परामर्श करना आवश्यक है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1* (2011)	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड-2,	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं।
अनुसंधान	*कार्यभार के	सेवा समूह 'ख'	9300-34800 ক.		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए
अन्वेषक	आधार पर	अराजपत्रित	+ ग्रेड वेतन		अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी
(करंतीन)	परिवर्तन किया	अननुसचिवीय	4200 ক.		सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की
	जा सकता है।				जा सकती है।
					टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के
					लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों
					से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की
					गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह
					अंतिम तारीख जो असम, मेघालय,
					अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,
					नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू – कश्मीर
					राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले
					लाहाल एवं स्पात ।जल तथा चम्बा ।जल के पांगी उप-खंड, अंदमान एवं निकोबार
					द्वीप या लक्ष्य द्वीप के अभ्यर्थियों के लिए
					विहित की गई है)।

(7) (8) (9)
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणी विज्ञान या जलीय लागू नहीं होता दो वर्ष
जीवन विज्ञान या मत्स्य विज्ञान में मास्टर डिग्री या केन्द्रीय मत्स्यपालन
शिक्षा संस्थान, मुंबई से मत्स्य विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा ।

(7)

(ii) किसी केन्द्रीय या राज्य मत्स्यपालन विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् संस्थान, मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था या सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विभाग प्राधिकरण या लोक उपक्रम या मत्स्यपालन का प्रशासन करने वाला अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र जिसके अंतर्गत प्रशासन करने वाला प्रयोगशाला और भडार भी हैं में मत्स्यपालन के अनुसंधान करने में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनतातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके द्वारा आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(10) (11)

सीधी भर्ती द्वारा

लागू नहीं होता

टिप्पण: पदधारियों की प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अविध के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकारी के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी:—

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं;

(ख) जिनके पास स्तंभ ७ के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12) (13)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नित सिमिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)

—अध्यक्ष

 संयुक्त सचिव (मत्स्य पालन), पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

 संयुक्त सचिव (प्रशासन), पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

—सदस्य

 मत्स्यपालन विकास आयुक्त या संयुक्त आयुक्त (मत्स्यपालन) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

—सदस्य

[फा. सं. 9-5/2010-मा. प्रशासन] सुदीपा कोहली, अवर सचिव

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक

नहीं है।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 29th July, 2011

- **G.S.R. 229.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Director (Aquatic Quarantine), Assistant Director (Aquatic Quarantine) and Fisheries Research Investigator (Quarantine) in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, namely:—
- **1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Aquatic Quarantine (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2011.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and pay band, grade pay or pay scale.—The number of posts, their classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** .—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the aforesaid Schedule.
 - 4. Disqualification.—No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

			SCHEDULE		
Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection or Non- selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Deputy Director (Aquatic Quarantine)	1*(2011) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non- Ministerial	Pay band-3, ₹15600– 39100 plus Grade pay ₹6600/-	Not applicabl	e Not applicable

1016 THE GAZETTE OF INDIA: AUG	UST 6, 2011/SRAVANA 15, 1933	[PART II—SEC. 3(i)]
Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable
Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promo absorption, grades from which or absorption to be made.	-
(10)	(11)	
By composite method (Deputation (including short term contract) plus Promotion	By Composite method [deputator plus promotion]	n (including short term contract)
	Deputation (including short te Central or State Governments or or recognized research institution or semi government organization bodies:-	Union territories or Universities ns or public sector undertakings
	(a)(i) holding analogous post of cadre or Department; or	on regular basis in the parent
	(ii) with five years' service appointment thereto on a regular 39100 with grade pay of Rs.54 cadre or Department; and	basis in Pay Band-3, Rs.15600-
	(b) possessing the following experience:-	educational qualifications and
	(i) Master's degree in Zoology recognized University or Post of Science from Central Institute of	Graduate Diploma in Fisheries
	(ii) Five years' experience in the development such as monitori aquatic animal diseases in any grecognized research and develop aquatic animal health issues.	ng, surveillance, reporting of government department or in a
	Note: Departmental Assistant D Pay Band-3, Rs.15600-39100 wit years' regular service in the gr alongwith outsiders and in appointment to the post, the si been filled by promotion.	h grade pay of Rs.5400 with five ade would also be considered case, he/she is selected for
	The departmental officers in the direct line of promotion will not appointment on deputation. Sin be eligible for consideration for	be eligible for consideration for nilarly, deputationists shall not
	(Period of deputation (including period of deputation (including ex-cadre post held immediately the same or some other organization).	short term contract) in another preceding this appointment in

the same or some other organization or department of the Central

(11)Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment on deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications). If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment (12)(13)Not applicable Consultation with Commission necessary on each occasion. (5) (1) (2) (4) (6)(3) 2. Assistant One 1* (2011) General Central Pay band-3, Not applicable Not applicable *(Subject to ₹15600-Director Service Group (Aquatic variation 'A' Gazetted, 39100 plus Quarantine) dependent Non-Grade pay on workload.) Ministerial of ₹5400 (7) (8)(9)Not applicable Not applicable Two years for Promotees (10)(11)By composite method [Deputation (including short-By Composite method [Deputation (including short-term contract) term contract) plus Promotion] plus promotion]. Deputation (including short-term contract): Officers of the Central or State Governments or Union Territories or universities or recognized research institutions or Public sector undertakings or semi-Government organizations or statutory or autonomous bodies: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in PB-2, ₹ 9300-34800 with Grade Pay of ₹ 4800 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in PB-2, ₹ 9300-34800 with Grade Pay of ₹ 4600 or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in PB-2, ₹ 9300-34800 with Grade Pay of ₹ 4200 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:

- (i) Master's degree in Zoology or Fisheries Science from a recognized University or Post Graduate Diploma in Fisheries Science from Central Institute of Fisheries Education, Mumbai.
- (ii) Three years' experience in the field of fisheries research and development such as monitoring, surveillance, reporting of aquatic animal diseases in any government department or in a recognized research and development organization dealing with aquatic animal health issues.

Note: Departmental Fishery Research Investigator (Quarantine) in the Pay Band-2, ₹9300-34800 with grade pay of ₹4200 with eight years' regular service in the grade shall also be considered alongwith outsiders and in case, he/she is selected for appointment to the post, the same shall deemed to have been filled by promotion.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

[Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications].

Note: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up the post on each occasion.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Fisheries	One (1)* (2011)	General Central	Pay band-2,	Not	Not exceeding 30 years.
Research	*(Subject to	Service Group	Rs. 9300-	applicable	(Relaxable for Government servants
Investigator	variation	'B' Non-Gazetted	34800 with		upto 5 years in accordance with
(Quarantine)	dependent	Non-	Grade pay		the instructions or orders issued
	on workload.)	Ministerial	of Rs. 4200		by the Central Government).

(6)

Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7) (8) (9)

- (i) Master's degree in Zoology or Aquatic Life Science or Fisheries Science from a recognized University or Post Graduate Diploma in Fisheries Science from Central Institute of Fisheries Education, Mumbai.
- (ii) Two years' experience in conducting research in fisheries in any central or state fishery department, Indian Council of Agricultural Research Institute, recognized research institution or in the Marine Products Export Development Authority or in a public undertaking or in administering fisheries research and training centre including administering laboratories, stores etc.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the post reserved for them.

Not applicable

Two years

(10) (11)

By direct recruitment.

Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long leave illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government:

Not applicable

_			
	(10)		
de (b pr Th	partment; and) Possessing the educational qualifications and escribed for direct recruits under column (7). The maximum age limit for appointment by deputation ceeding 56 years as on the closing date of receipt of a second column.	experience a shall not be	
_	(12)		(13)
	roup 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation): Joint Secretary (Fisheries), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	onsidering —Chairman	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.
2.	Joint Secretary (Administration), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	Member	
3.	Fisheries Development Commissioner or Joint		

-Member

Commissioner (Fisheries), Department of Animal

Husbandry, Dairying and Fisheries

[F. No. 9-5/2010-Fy. Admn.] SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

Department of the Central Government shall ordinarily no exceed three years.
Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Additional Economic Adviser or Additional Statistical Adviser,	Consultation with Union Public Service Commission necessary not necessary.
Directorate of Economics and Statistics —Chairman	
 Deputy Secretary/Under Secretary (Economic Administration) — Member Chief Administrative Officer, Directorate of Economics & Statistics — Member 	

[F. No. A-12018/3/2017-EA]

P.C. PANDE, Dy. Secy. (Economic Administration Division)

नई दिल्ली, 21 जून, 2017

सा.का.नि. 225.— राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पशुपालन और डेयरी विभाग मात्स्यिकी विकास आयुक्त समूह 'क' भर्ती नियम, 2004 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में मात्स्यिकी विकास आयुक्त के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात:

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, मात्स्कि विकास आयुक्त समूह 'क' पद भर्ती नियम, है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा अर्हतांए आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित आयु-सीमा अर्हतांए और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।
- 4. **निरर्हता**.—वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित हैं,विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है. या

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शाक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हे लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नही डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछडें वर्गों और विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
मात्स्यिकी विकास आयुक्त	(1)* (2017)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 13 (118500- 214100 रु.)
	(*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)		

चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्न्त व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धित: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्तिक/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्तिक/आमेलन किया जाएगा (11)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र या पब्लिक उपक्रमों या कृषि विश्वविघालयों या शासकीय अनुसंधान संस्थाओं या परिपदों या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:

- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है, या
 - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 12 (78800-209200 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियतिम सेवा की है।
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो अर्थात् :
 - (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणि-विज्ञान (मात्स्यिकी में विशेषज्ञता सिहत) में मत्स्य डिग्री अथवा मात्स्यिकी या समुद्री जीव विज्ञान में मास्टर डिग्री अथवा केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान से डिप्लोमा या समतुल्य:
 - (ii) समुद्री और अंतर्देशीय विकास दोनों क्षेत्र में पंद्रह वर्ष का अनुभव:

टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा जिसके अतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	प्रत्येक अवसर पर
	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/3/2016- प्रशासन-I]

ललित ग्रोवर, अवर सचिव

New Delhi, the 21st June, 2017

- **G.S.R. 225.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Animal Husbandry and Dairying, Fisheries Development Commissioner Group 'A' Recruitment Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Fisheries Development Commissioner in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, namely: -
- 1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Fisheries Development Commissioner, Group Á' post, Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, its classification and level in the pay matrix.** The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of these provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Fisheries Development	(one)*(20 17)	General Central Service,	Level-13 in the pay matrix
Commissioner	(*Subject to variation	Group "A", Gazetted, Non-	(Rs.118500-214100)
	dependent on	Ministerial	
	workload.)		

Whether selection post or non-	Age- limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required
selection post		for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, the grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Deputation (including short-term contract)	Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Public Undertakings or Agricultural Universities or Government Research Institutions or Councils or Autonomous or Statutory Organizations:- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-12 (Rs.78800-209200) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department. (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-

	 (i) Master's Degree in Zoology (with specialization in fisheries) or Master's Degree in Fisheries or Marine Biology from a recognized University or Diploma from the Central Institute of Fisheries Education, Bombay or equivalent; (ii) Fifteen years' experience in the field of fisheries development both marine and inland.
	(Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six as on the closing date of receipt of application.)

If a Departmental Promotion Committee	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be		
exists, what is its composition	consulted in making recruitment		
(12)	(13)		
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each		
	occasion.		

[F. No. A. 12018/3/2016-Admn.I] LALIT GROVER, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 जून, 2017

सा.का.िन. 226.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पशुपालन और डेयरी विभाग (पशुपालन आयुक्त) भर्ती नियम, 1997 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में पशुपालन आयुक्त के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग (पशुपालन आयुक्त) भर्ती नियम, 2017 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति -
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या